राजस्थान सरकार
वित्त (एस.पी.एफ.सी) विभाग

क्रमांकः—एफ 4(2) वित्त/एस.पी.एफ.सी/2013 जयपुर, दिनांक 30-1-14
परिपत्र संख्या –01/2014

परिपत्र

प्रायः देखा गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओ द्वारा राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर बोली आंमत्रित करने वाला नोटिस (N.I.B), बिड दस्तावेज संशोधन, स्पष्टीकरण, शुद्दिपत्र के अलावा उपापन से सम्बन्धित अन्य अपेक्षित सूचनाएं अपलोड नही की जाती हैं, जबकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 17 एवं राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 4 के प्रावधानानुसार प्रत्येक उपापन संस्था को राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर उपापन से सम्बन्धित अपेक्षित सूचना अपलोड कर प्रकाशित करना अनिवार्य है।

अतः सभी उपापन संस्थाओ को सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 17 (3) के अनुसार यथा अपेक्षित उपापन से सम्बन्धित सूचनायें, यथाः बोली आमंत्रण नोटिस, पुर्व–अहर्ता दस्तावेज, बोली लगाने वालो के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज, बोली दस्तावेज, तथा उसके संशोधन, स्पस्टीकरण, शुद्दिपत्र, बोली लगाने वालो की सूची, कारण सहित अपवर्जित बोली लगाने वालो की सूची, सफल बोलियों का, उनकी कीमतो का और बोली लगाने वालो का ब्योरा, बोली की स्वीकृति/अवार्ड/निरस्तिकरण, बोली लगाने वालो, जिन्हे राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था द्वारा विवर्जित किया गया है, की विशिष्टयां, साथ ही उपापन संस्था का नाम, विवर्जन कार्यवाही का कारण, अपील एवं उपापन कार्यवाही को रोकने से सम्बन्धित सूचना, आदि राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर अपलोड करना सुनिश्चित करावे।

(उर्मिला जोशी)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधिनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव को उनके अधिनस्थ विभागो एवं उपक्रमों में लागू करवाने हेतु।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. पंजीयक,राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
7. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग
8. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
9. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) /(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
11. समस्त वित्तीय सलाहकार/ मुख्य लेखाधिकारी समस्त विभाग।
12. समस्त कोषाधिकारी
13. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
14. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
15. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
16. सिस्टम एनालिस्ट,वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि वित्त(समन्वय)विभाग के आदेश संख्या प.17(1)वित्त(समन्वय)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
17. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी NIC शासन सचिवालय,जयपुर।
18. तकनीकि निदेशक, NIC शासन सचिवालय।

(उर्मिला जोशी)
संयुक्त सचिव